जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, इन्दिरा सर्किल, जयपुर

कमांकःजविप्रा/उपा./जोन–12/17/डी– 2370. दिनांक 01-9-17

मैसर्स मंगलम् बिल्ड डवलपर्स लि. जरिये
अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा,
कार्यालय पता 6वीं फ्लोर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टोंक रोड,
जयपुर।

विषयः–ग्राम जैतपुरा व चौमूँ, तहसील आमेर, जिला जयपुर की निजी खातेदारी मंगलम् औद्योगिक सिटी योजना के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी–1 क्षेत्रफल 3403.72 वर्ग गज व भूखण्ड संख्या सी–2 क्षेत्रफल 3164.74 वर्ग गज भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत पुर्नगठन करने बाबत्।

सन्दर्भः–आपका प्रार्थना पत्र दिनांक **24.08.2017**

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रार्थना पत्र के कम में लेख है कि आप द्वारा ग्राम जैतपुरा व चौमूँ, तहसील आमेर, जिला जयपुर की निजी खातेदारी मंगलम् औद्योगिक सिटी योजना के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी–1 क्षेत्रफल 3403.72 वर्ग गज व भूखण्ड संख्या सी–2 क्षेत्रफल 3164.74 वर्ग गज भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत पुर्नगठन करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण तकनीकि रूप से परीक्षण करने के उपरान्त पुनर्गठन/उप विभाजन नियम 1975 एवं जविप्रा बी.पी.सी.(एल.पी.) की 246वी बैठक दिनांक 19.07.2017 के निर्णयानुसार में उक्त भूखण्ड संख्या सी–1 व सी–2 का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत निम्न प्रकार पुनर्गठन किया जाता हैः–

योजना का नामः– मंगलम् औद्योगिक सिटी के भूखण्ड संख्या सी–1 व सी–2 ग्राम जैतपुरा व चौमूँ, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

1. मूल भूखण्ड संख्या सी–1 का क्षेत्रफल 3403.72 वर्ग गज
2. भूखण्ड संख्या सी–2 क्षेत्रफल 3164.74 वर्ग गज
3. भूखण्ड संख्या सी–1 व सी–2 का पुनर्गठित क्षेत्रफल 6568.46 वर्ग गज

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त ~~जोन~~–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

SITE PLAN OF (AFFORDABLE HOUSING)

UNDER PROVISION 3A OF CHIEF MINISTER'S JAN AWAAS YOJNA 2015

RECONSTITUTED COMMERCIAL PLOT C-1 & C-2

SCHEME:- MANGLAM INDUSTRIAL CITY

AT VILLAGE - JAITPURA (CHOMU) SIKAR ROAD , JAIPUR.

PLOT AREA :- 6568.46 SQ.YDS.
PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA :- UP TO 50%
F.A.R. :- 2.25
HEIGHT:- 45.00M
SIDE AND REAR SETBACK :- SHALL BE MIN. OF 3 MT. FOR BUILD.HEIGHT UP TO 15MT AND MIN.6 MT.FOR BUILD.HEIGHT ABOVE 15 MT.
SCALE:- 1" INCH=100' FEET

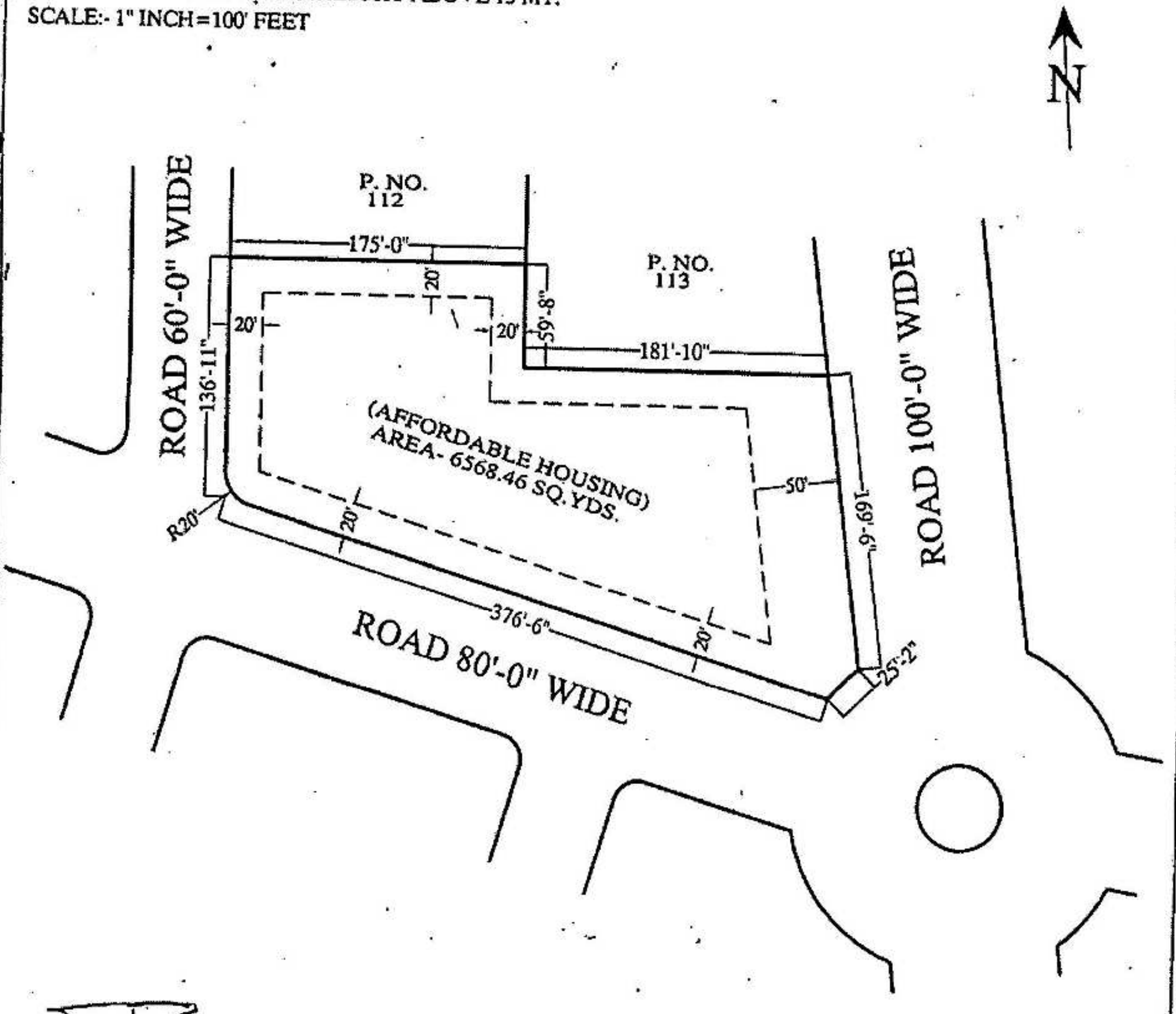

SITE ENGINEER
ZONE-12

A.T.P
ZONE-12

DY.COMMISSIONER
ZONE-12

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : एफ ( )जविप्रा/उपा/जोन–12/नि.खाते/12/डी–745 दिनांक 29.11.11

उप पंजीयक,
पंजीयन व मुद्रांक विभाग,
जयपुर।

विषय :– निजी खातेदारी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत अनुमोदित निजी औद्योगिक योजना मंगलम् औद्योगिक सिटी, ग्राम, जैतपुरा व चौंमू, तहसील चौंमू की जारी आवासीय/औद्योगिक/वाणिज्यिक लीजडीड पंजीकृत करने बाबत्।

महोदय,

इस पत्र के साथ में श्री/श्रीमती/सुश्री मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि. पुत्र/पत्नि/पुत्री जरिये डायरेक्टर विनोद गोयल .... को निजी खातेदारी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत अनुमोदित औद्योगिक योजना मंगलम् औद्योगिक सिटी, ग्राम जैतपुरा व चौंमू तहसील चौंमू की जारी आवासीय/औद्योगिक/वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या ......C–1...... की लीजडीड उनके द्वारा प्रस्तुत स्टाम्प पर निष्पादित की जा रही है। कृपया वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अन्तर्गत पूर्ण मुद्रांकित कर नियमानुसार पंजीकरण की कार्यवाही करावे।

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

D.743

यह विलेख आज वर्ष 2012 के माह NOV. के 29 वे दिन जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री मंगलम बिल्ड डेवलपर्स लि० द्वारा [illegible] पुत्र श्री .... जाति [illegible] व्यवसाय [illegible] निवासी 6th फ्लोर, [illegible] जयपुर जिनको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षांकित करता है कि नियमन की राशि 7488181/– शब्दो में सात लाख अड़तालीस हजार एक सौ इक्यासी जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान क्रमांक 236354 दिनांक 29-11-12 से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **"मंगलम औद्योगिक सिटी"** राजस्व ग्राम जैतपुरा व चौमू तहसील चौमू के भूखण्ड संख्या C-1 क्षेत्रफल 3483.72 वर्गगज/वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:–

1. लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 718866/– अंके सात लाख अठारह हजार आठ सौ छियासठ मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक वार्षिक निर्धारण की राशि जो आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल [illegible] जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमो के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा [illegible] प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नही होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से इस बाबत् राज्य सरकार/अधिप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

उपायुक्त अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण

...अधिकारी

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नही होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

11. आवंटी को भूखण्ड पर औद्योगिक कार्य स्थापित करने से पूर्व संबंधित विभाग व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

परिशिष्ट

नोट :-इस भूखण्ड की पंजीकृत मुल्य राशि रूपये 3594328/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4711, 4712 स्टाम्प रूपये 179720 +10 संख्या 10 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

योजना का नाम मंगलम औद्योगिक सिटी ग्राम जैतपुरा व चौमू तह. चौमू पूर्व............पश्चिम............ भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो C-1
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल सीमा उत्तर............दक्षिण............ मानचित्र सलंग्न है।
वर्गगज/मीटर 3403.72

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है।
सरकार की ओर से:-

आज सन् 2012 के माह 11 के 29 वें दिन
श्री ......[illegible] RAS......
सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन- 12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

[signature] उपायुक्त/अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
मयमोहर

साक्षी:-
(1) नाम ....
पुत्र .... [illegible] S/o स्व. श्री
व्यवसाय .... [illegible] प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान .... जयपुर

[signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम .... सुरेश कुमार मोदी
पुत्र .... श्री [illegible] मोदी
व्यवसाय .... प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान .... जयपुर

[signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 29 सन् 2012 को माह 11 को .... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .... लीजधारक द्वारा कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

For Manglam Build Developers Ltd
[signature]
लीजधारक के हस्ताक्षर Director

साक्षी:-
(1) नाम Vijay Singh
पुत्र Shivraj Singh
व्यवसाय Service
निवास स्थान Jaipur

[signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम Alok Sharma
पुत्र S/o [illegible] Sharma
व्यवसाय Service
निवास स्थान Jaipur

[signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF COMM. NO.- 1

SCHEME :-MANGLAM INDUSTRIAL CITY

(NUI KHATEDARI)

AT JAITPURA (CHOMU) SIKAR ROAD ,JAIPUR

AREA :- 3403.72 SQ. YDS.

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA :....AS PER BYE LAW'S...

SCALE :- 1 INCH = 50 FEET

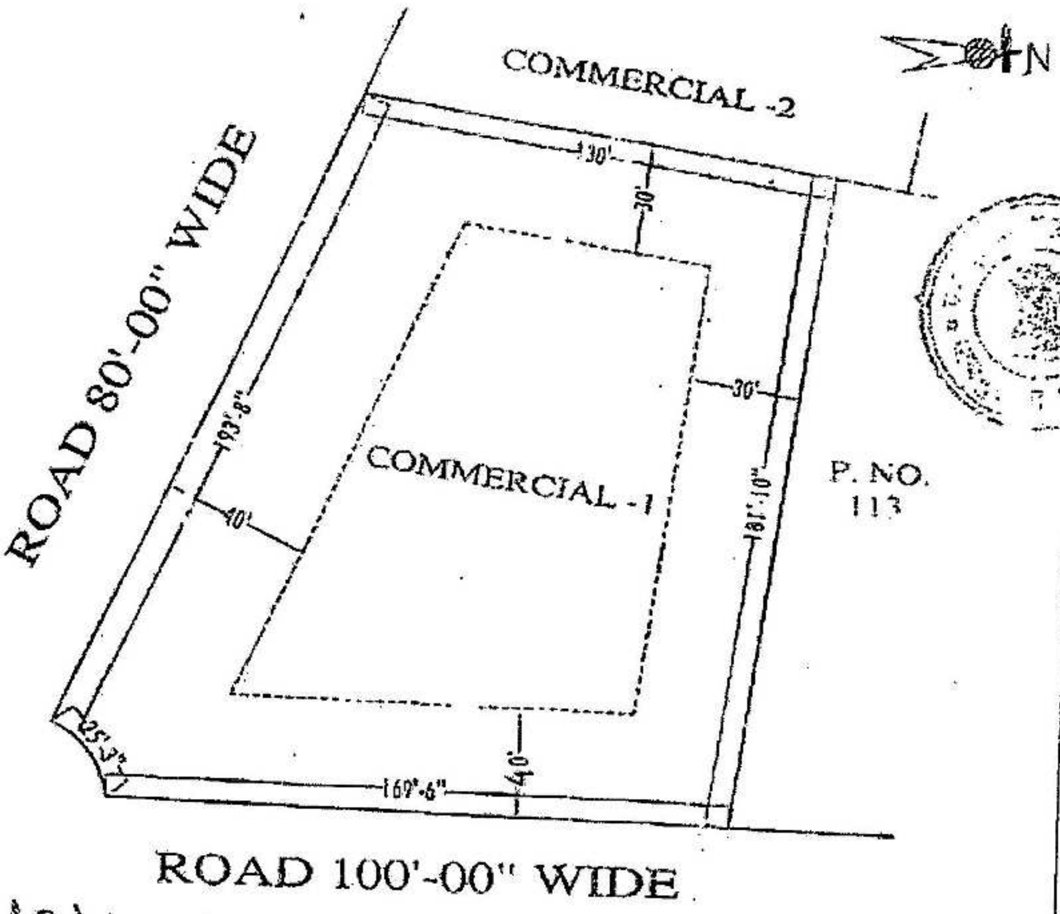

SITE ENGINEER (ZONE-12)	A.T.P./T.P.A. (ZONE 12)	कार्यालय का अतिरिक्त अधिकारी DY. COMMISSIONER (ZONE-12) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2013 के माह 10 के 24 दिन जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] जाति [illegible] व्यवसाय [illegible] निवासी [illegible] जिनको इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगें) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षयांकित करता है कि नियमन की राशि 6,96,243/- शब्दो में [illegible] जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा चालान कमांक 236354 दिनांक 29-11-12 से अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **"मंगलम औद्योगिक सिटी"** राजस्व ग्राम **जैतपुरा व चौंमू तहसील चौंमू** के भूखण्ड संख्या C-2 क्षेत्रफल 3164.74 वर्गगज / ~~वर्गमीटर~~ में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलंग्न नक्शे में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थातः–

1. लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) एकमुश्त लीज रूपये 6,68,393/- अक्षरे [illegible] मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया शहरी जमाबन्दी प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विकय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल वाणि० उद्योग प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए दिया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावे, में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. यदि लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दिया जाता है तो उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वंय द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नही होगीं। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विकय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येग अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से इस बाबत् राज्य सरकार / जविप्रा द्वारा भविष्य में तय की जाने वाली दर पर अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक / वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

उपायुक्त [illegible] अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझें जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नही होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्थॉं/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बधक रखा जा सकेंगा।

11. आवंटी को भूखण्ड पर औद्योगिक कार्य स्थापित करने से पूर्व संबंधित विभाग व राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

परिशिष्ट

नोट :–इस भूखण्ड की पंजीकृत मुल्य राशि रूपये 3341965/- होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 4709, 4710 स्टाम्प रूपये 167100 +10 संख्या 13 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

योजना का नाम मंगलम औद्योगिक सिटी ग्राम जैतपुरा व चौमू तह. चौमू — पूर्व........ पश्चिम........ भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो G-2

विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर 3164.74 — सीमा उत्तर........ दक्षिण........ मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

सरकार की ओर से:–

आज सन् 2012 के माह 10 के 24 वें दिन श्री [illegible] RAS सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन–12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त [illegible] अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी:–

(1) नाम ....
पुत्र बाबू लाल मीणा S/o स्व. श्री
व्यवसाय जगदिश मीणा प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम सुरेश कुमार मोदी
पुत्र श्री राधेश्याम मोदी
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक .... सन् 2012 को माह 10 के 24 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री .... लीजधारक द्वारा कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

For Manglam Build Developers Ltd.

लीजधारक के हस्ताक्षर Director

साक्षी:–

(1) नाम Vijay Singh
पुत्र Shivraj Singh
व्यवसाय Service
निवास स्थान Jaipur

साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम Ajay Sharma
पुत्र S/o S.C. Sharma
व्यवसाय Service
निवास स्थान Jaipur

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक **23/12/2013** को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 502
में पृष्ठ संख्या 40 क्रम संख्या 2013013240 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1787
के पृष्ठ संख्या 355 से 374 पर
चस्पा किया गया।

(2013017653) उप पंजीयक, CHOMU चौमू
(Lease deed for local bodies (Patta))

SITE PLAN OF COMM. NO.- 2

SCHEME :- MANGLAM INDUSTRIAL CITY

(NIJI KHATEDARI)

AT JAITPURA (CHOMU) SIKAR ROAD ,JAIPUR

AREA :- 3174.30- R (9.56) =3164.74 SQ. YDS.

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA :....AS PER BYE LAW'S...

SCALE :- 1 INCH = 50 FEET

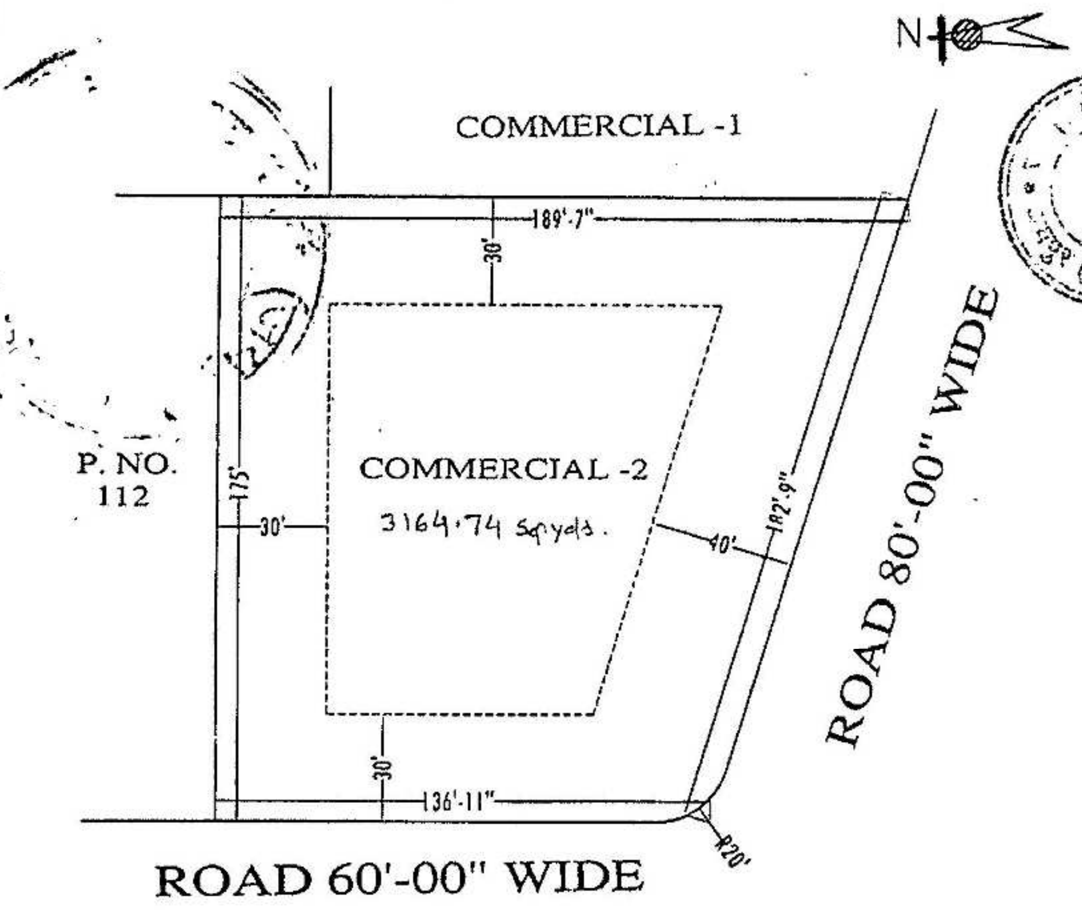

SITE ENGINEER
(ZONE-12)

A.T.P./T.P.A.
(ZONE-12)

DY. COMMISSIONER / उपायुक्त ... अधिकारी
(ZONE-12)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY,
JAIPUR.

आज दिनांक 23 माह December सन् 2013 को 00:47 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री RAVINDRA KUMAR SHARMA पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री MUKTI LAL SHARMA
उम्र 29 वर्ष, जाति BRAHMIN व्यवसाय SER.
निवासी C/0 SIXTH FLOOR APEX MAIL,LAL KOTHI TONK ROAD JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक CHOMU
(2013017653)
(Lease deed for local bodies (Patta))

रसीद नं0 2013014304 दिनांक 23/12/2013
पंजीयन शुल्क रू0 33420 / –
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300 / --
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0 / –
अन्य शुल्क रू0 16710 / –
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 0 / –
कुल योग रू0 50430 / –

(2013017653) उप पंजीयक CHOMU
(Lease deed for local bodies (Patta))

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-RAVIND KUMAR SHARMA AS AUTH.ATTO.H.VINOD GOYAL /MUKTI LAL SHARMA Age:29, Caste-BRAHMIN Ocu.-SER. R/O-C/0 SIXTH FLOOR APEX MALL LAL KOTHI TONK ROAD JAIPUR			

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 3341965/– पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे सें रू0 3341965/–पूर्व में ———
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री KAPIL SHARMA
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAJENDRA PRASAD SHARMA उम्र 19 वर्ष
जाति BRAHMAN व्यवसाय STUDY
निवासी LOHARWARA (UDAIPURIYA) ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें है।

(2013017653) उप पंजीयक CHOMU
(Lease deed for local bodies (Patta))